

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती अमरती बाई
किस्म मुकदमा : वाद

विपक्षी : श्रीमती धनीबाई वगैरह
प्रकरण संख्या : 49/2021

सन् 2021

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	<p>दिनांक : 29.04.2026</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण लम्बे समय से प्रतिवादी संख्या एक की तामील में दिनांक 11.03.2025 से नियत है। वादी अधिवक्ता द्वारा चार अवसर दिए जाने के बावजूद भी सम्मन प्रोसेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। न्यायालय द्वारा रुक रुककर वादी को तीन बार आवाजें लगवाई गई, बावजूद इसके न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिससे जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा वाद में आगे कार्यवाही नहीं चाहता है।</p> <p>अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 जा. दी. के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(अवुला साईकृष्ण)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा उदयपुर